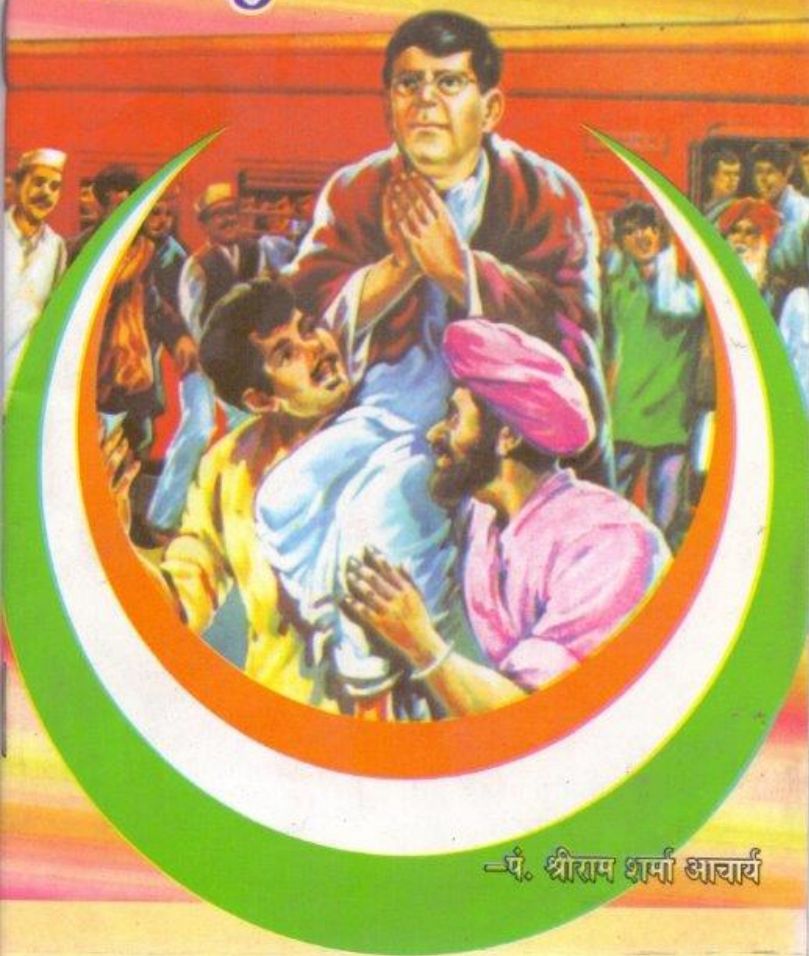


त्याग और परोपकार के आराधक

देशबंधु वित्तरंजन दास



—पं. श्रीराम शर्मा आचार्य

त्याग और परोपकार के आराधक—

देशबंधु चित्तरंजनदास

सन् १९०८ की बात है। भारतवर्ष का राजनैतिक वातावरण पूरी तरह गर्म हो रहा था। देश भर में "स्वदेशी आंदोलन" की धूम मची हुई थी। "अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो" की ध्वनि से आकाश गूँज रहा था। भारतवासियों की इस विद्रोही भावना को देखकर ब्रिटिश अधिकारी भी कुपित होकर दमन पर तुल गये। देश के सैकड़ों सुप्रसिद्ध नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जाकर जेलों में बंद कर दिये गये। स्वदेशी-प्रचार की सभाओं को पुलिस लाठी चलाकर भंग कर रही थी। अनेक स्थानों में तो "वंदेमातरम्" कहने पर गिरफ्तार कर लिए जाते थे। इस प्रकार जनता और सरकारी अधिकारियों में भयंकर संघर्ष हो रहा था। भारतीय नर-नारी अपने जन्मसिद्ध अधिकारों की माँग कर रहे थे और सरकारी कर्मचारी आंदोलन को कुचल डालना चाहते थे।

सरकार के दमन-चक्र का प्रतिकार करने के लिए देश के कुछ नवयुवकों ने शांतिपूर्ण आंदोलन का मार्ग त्यागकर शस्त्र-बल का आश्रय लेने का निश्चय किया। खुले तौर पर तो अंग्रेजों की आधुनिक, अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित सेना का मुकाबला कर सकना मुट्ठी भर व्यक्तियों के लिए संभव न था, इसलिए इन क्रांतिवादियों ने गुप्त-संगठन बनाये और छिपे तौर पर बम बनाने तथा पिस्तौल आदि एकत्रित करने का कार्य आरंभ किया। बंगाल के क्रांतिकारी दल ने अपना सबसे पहला लक्ष्य कलकत्ता के एक मजिस्ट्रेट मि० किंग्सफोर्ड को बनाया। वे स्वदेशी आंदोलन में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों को कड़ी-कड़ी सजायें दे रहे थे। एक पंद्रह वर्ष के लड़के को उन्होंने बेंत लगाने की भी सजा दी। इस पर क्रुद्ध होकर क्रांतिकारी दल ने मि० किंग्सफोर्ड को मारने का आदेश दे दिया।

क्रांतिकारियों की धमकी से डरकर मि० किंग्सफोर्ड ने अपना तबादला मुजफ्फरपुर करा लिया था। इस कारण गुप्त-दल के दो सदस्य खुदीराम और प्रफुल्लचंद्र चाकी उनको मारने वहाँ पहुँचे। उन्होंने उनकी गाड़ी पर बम तो फेंका, पर उस समय उसमें मि० किंग्सफोर्ड के बजाय दो अंग्रेज महिलायें बैठी थीं, जिनका देहांत उसी समय हो गया। इस घटना से सरकारी क्षेत्र में रोष और बदहवासी का तूफान आ गया और भारतीय आंदोलनकारियों के विरुद्ध विषोदगार प्रकट किए जाने लगे। ऐंग्लो इंडियनों के मुखपत्र 'पायोनियर' ने तो यहाँ तक लिख डाला कि "अगर कहीं एक अंग्रेज मारा जाता है, तो उसके बदले दस भारतवासियों को फाँसी दे देनी चाहिए।"

सरकारी खुफिया पुलिस ने जाँच करके खुदीराम को शीघ्र ही पकड़ लिया और प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार होते समय पिस्तौल से गोली मारकर अपना अंत कर लिया। पर मामला यहीं खत्म नहीं हो गया। सरकार को विश्वास हो गया कि इन हत्याओं के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, इसलिए मुख्य कार्य उसके नेताओं का पता लगाना और दंड देना है। कुछ दिन बाद पुलिस के जासूसों ने कलकत्ता में एक बम फैक्टरी का पता लगा लिया और २६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जो 'युगांतर पार्टी' नामक गुप्त-संस्था के सदस्य थे। इसके कुछ ही समय बाद श्री अरविंद घोष को भी हिरासत में ले लिया गया, जो उस समय 'नेशनल कॉलेज' के प्रिंसिपल और 'वंदेमातरम्' अंग्रेजी दैनिक पत्र के संचालक थे।

“वकालत” का अपूर्व आदर्श—

मुकदमा बड़ी धूमधाम से चला। यद्यपि 'बम कांड' से अरविंद का कोई प्रत्यक्ष संबंध न था और वे देश के एक प्रसिद्ध सार्वजनिक नेता और चोटी के विद्वान् थे, पर सरकार का सबसे अधिक रोष उन्हीं पर था। वह जानती थी कि अपने लेखों और भाषणों से उन्होंने नवयुवकों में वह भावना भरी है, जिससे वे इस प्रकार देश के लिए प्राण देने को तैयार हो गये हैं। इसलिए सरकारी वकील मि० नार्टन ने तरह-तरह के प्रमाणों की भरमार

करके चार महीने तक सरकारी पक्ष उपस्थित किया, जिसमें अदालत द्वारा दौ सौ गवाह, चार हजार कागज-पत्र और पाँच सौ दूसरे सबूत जैसे—बम, विस्फोटक पदार्थ आदि की जाँच की गई। अंग्रेज सरकार द्वारा लाखों रुपया खर्च करके हर तरह से यह चेष्टा की गई कि श्री अरविंद को मृत्युदंड या कड़ी से कड़ी सजा दी जाये। पर उनकी तमाम कोशिश निरर्थक सिद्ध हुई और अंग्रेज जज को बाध्य होकर श्री अरविंद को छोड़ देना पड़ा। इस आश्चर्यजनक फैसले का समस्त श्रेय था श्री अरविंद की वकालत करने वाले—श्री चित्तरंजनदास को।

यद्यपि भारतवर्ष में प्रतिभाशाली वकीलों की कमी नहीं है। बीते समय में कानून के एक से एक दिग्गज पचासों विद्वान् ऐसे हो चुके हैं, जिनका नाम अदालती-इतिहास में स्थायी हो गया और जो अपार संपत्ति के साथ सार्वजनिक यश और कीर्ति के भी भागीदार बन सके, पर उन सबमें श्री चित्तरंजनदास का-सा उदाहरण मिल सकना असंभव है। निस्संदेह इन प्रसिद्ध वकीलों ने महत्त्वपूर्ण अभियोगों में अपनी कानूनी योग्यता का अपूर्व परिचय दिया था, पर उसके लिए अपने मुवक्किलों से फीस के रूप में बड़ी-बड़ी रकमें भी प्राप्त की थीं। लेकिन श्री चित्तरंजनदास एक ऐसे वकील निकले जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हृद दर्जे की योग्यता प्रकट करके अपने मुवक्किल (श्री अरविंद) को यमराज की दाढ़ों में से सुरक्षित निकाल लिया और साथ ही इसके लिए जान-बूझकर कई लाख रुपयों की हानि भी उठाई। इस प्रसंग पर टिप्पणी करते हुए उनके जीवन-चरित्र लेखक श्री हेमेंद्रनाथदास गुप्त डी० लिट० ने लिखा है—

“चित्तरंजन ने अपने मुवक्किल को बचाने के लिए बड़ी मेहनत की। उन्होंने इस मुकदमे में अपनी सारी बुद्धि और शक्ति लगा दी तथा अपना पक्ष सशक्त करने के लिए तत्संबंधी उपलब्ध सभी फैसलों और कानूनों का अध्ययन किया। दस महीने तक चित्तरंजन ने अरविंद के मुकदमे में रात-दिन एक कर दिया। उन्होंने इस मुकदमे को न केवल बिना किसी प्रकार की फीस के स्वीकार किया, बल्कि इसके कारण उनको अपनी घोड़ागाड़ी बेच

देनी पड़ी और व्यक्तिगत रूप से कर्ज भी लेना पड़ा। उनकी आमदनी बिल्कुल बंद हो गई थी, जबकि खर्च ज्यों के त्यों बने थे। जिस समय मुकदमा खत्म हुआ उन पर लगभग पचास हजार का ऋण था।”

श्री अरविंद ने भी अभियोग से रिहाई हो जाने के पश्चात् उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा था—

“अप्रत्याशित रूप से वह आगे आया, मेरा वह मित्र”

आप सबने उसका नाम सुना है, जिसने अपनी सब चिंताओं को एक तरफ रख दिया, अपने सारे मुकदमे छोड़ दिये, महिनो आधी-आधी रात तक बैठा परिश्रम करता रहा और मुझे बचाने के लिए जिसने अपना स्वास्थ्य नष्ट कर लिया। उसका नाम है—श्री चित्तरंजनदास। जब मैंने उसे देखा तो मैं संतुष्ट हो गया।”

श्री चित्तरंजनदास के जीवन की एक यही घटना इतनी महत्त्वपूर्ण है, जिसके आधार पर उनको उच्चकोटि का ‘महापुरुष’ माना जा सकता है। वकील का पेशा हमारे देश में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उनमें से अधिकांश मुकदमे के ठीक या गलत होने का ख्याल छोड़कर अधिक से अधिक रुपया कमाने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। यद्यपि देश के अधिकांश नेता आरंभ में वकील ही थे—महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मालवीय जी जैसे महान् नेता भी इसी क्षेत्र में से आये थे तो भी सामान्य जनता की दृष्टि में यह पेशा कभी प्रशंसनीय और श्रद्धास्पद नहीं समझा गया, पर दास बाबू ने श्री अरविंद के अभियोग में स्वार्थ त्याग की हद करके यह दिखला दिया कि यदि मनुष्य के हृदय में सच्ची परोपकार-भावना हो तो यह प्रत्येक अवस्था में तदनुसार आचरण कर सकता है। जो परिस्थितियों का नाम लेकर समाज-सेवा के कार्यों से विमुख होकर रहते हैं, उनके लिए दास बाबू का उदाहरण शिक्षाप्रद हो सकता है।

त्याग और परोपकार का जन्मजात गुण—

उदारता और न्याय का यह गुण श्री चित्तरंजनदास (सन् १८७० से १९२५) में आरंभिक जीवन से ही पाया जाता था।

हम यह भी कह सकते हैं कि यह उनको पैतृक रूप से प्राप्त हुआ था। उनके पिता श्री भुवन मोहन भी कलकत्ता हाईकोर्ट के एक नामी वकील थे। पर वे स्वभाव के इतने उदार तथा स्वयं भी पर्याप्त खर्च करने वाले थे कि अपनी समस्त आय खर्च कर डालने पर भी कमी पड़ती रहती थी। एक बार उन्होंने अपने क्लर्क के कहने पर किसी व्यक्ति की जमानत दे दी। वह व्यक्ति धोखेबाज निकला और इस कारण भुवन मोहन पर ३० हजार रुपये की देनदारी आ गई। इसके अतिरिक्त पहले से भी उनके ऊपर कुछ ऋण था। जब इसको चुका सकना संभव न हो सका और कर्ज देने वाले अदालत में पहुँच गये तो उन्हें कानून के अनुसार 'दिवालिया' घोषित कर दिया गया।

दास बाबू की माता श्रीमती निस्तारिणी देवी भी बड़ी विशाल हृदय वाली, दूसरों के दुःख दर्द में सहायक होने वाली और न्याय परायण थीं। अपने पति के अत्यधिक खर्चों के कारण उनको प्रायः गृहस्थी की व्यवस्था में कठिनाइयाँ पड़ती रहती थीं, पर वे उनसे कभी नहीं घबड़ाई और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ हर तरह की परिस्थिति का सामना करती रहीं। दास बाबू के परिचितों का मत है कि उन पर पिता से भी अधिक अपनी माता का प्रभाव पड़ा था और इसी से वे सदैव न्याय के लिए बड़ा त्याग करने को तैयार रहे।

आरंभिक जीवन में देशभक्ति की भावना—

उदार और त्यागी होने के साथ ही उनमें देशभक्ति का गुण भी छोटी अवस्था में ही उत्पन्न हो गया था। नौ वर्ष की आयु में ही, जब स्कूल में दाखिल हुए, वे देशभक्तिपूर्ण कविताओं के प्रेमी बन गये थे और उन्हें उत्साहपूर्वक गाया करते थे। उन्हीं दिनों वे श्री विपिन चंद्र पाल से परिचित हो गये, जो सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र के एक अग्रगामी कार्यकर्ता थे। इन बातों का प्रभाव यह हुआ कि विद्यार्थी अवस्था में ही वे सार्वजनिक कार्यों से अनुराग रखने लगे और जब आई० सी० एस० की परीक्षा पास करने इंग्लैंड गये तो वहाँ भी दादाभाई नौरोजी को पार्लियामेंट का

सदस्य चुनवाने में उन्होंने जोर-शोर से कार्य किया। उन दिनों अंग्रेज प्रायः यह कह देते थे कि हमने भारत को तलवार के जोर से जीता है और तलवार के सहारे ही वश में रखेंगे। नवयुवक चित्तरंजन से यह बात सहन नहीं हुई और एक प्रचार सभा में इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा—“अंग्रेजों ने तलवार, बंदूक के सहारे इतने लंबे-चौड़े और शानदार भारतवर्ष को कभी नहीं जीता। यह उनके सैनिक बल की नहीं वरन् कूटनीतिक चालों की जीत थी। इसे तलवार की विजय कहना और तलवार की नीति बरतने की धमकी देना सरासर ओछापन और शर्म की बात है।”

इन शब्दों से उनकी देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना स्पष्ट प्रकट होती है। पर अंग्रेजों के देश में उनके मुँह पर ऐसा कहना सामान्य बात न थी। उसी दिन से वे अंग्रेज अधिकारियों की नजरों में खटकने लग गये और अंत में अधिकांश परीक्षार्थियों से प्रतिभाशाली होने पर भी आई० सी० एस० की परीक्षा में उनको असफल घोषित कर दिया गया। सरकार की पक्षपात पूर्ण नीति को देखकर उन्होंने भी अपना लक्ष्य बदल दिया और सन् १८६३ में बैरिस्टरी की परीक्षा पास करके स्वदेश वापस आ गये।

परिस्थितियों के साथ संघर्ष—

यद्यपि दास बाबू की योग्यता में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी और वे परिश्रम भी काफी करते थे तो भी उनकी उन्नति बहुत धीरे-धीरे हुई। इसका एक कारण यह भी था कि परीक्षा पास करने के बाद सांसारिक जीवन में प्रवेश करते ही उन पर बहुत अधिक भार पड़ गया। उनके पिता ने वकालत का कार्य एक प्रकार से छोड़ ही दिया था, साथ ही उन्होंने कर्ज की एक बहुत बड़ी रकम भी परिवार के ऊपर लाद दी थी। परिवार भी काफी बड़ा था। इन सब कारणों से चित्तरंजन को आरंभिक चार-पाँच वर्ष तक जीवन-निर्वाह के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। उस समय विवश होकर उनको अपनी हैसियत के अन्य बैरिस्टरों के मुकाबले कम फीस पर मुकदमे लेने पड़ते थे। फिर भी वे धैर्य से क्रमशः आगे बढ़ते गये। कम फीस लेने पर भी वे अपने मुवक्किल को जिताने

की पूरी कोशिश करते थे और इसके लिए अधिक से अधिक जोरदार सबूत इकट्ठे करने में बड़ा परिश्रम करते थे।

इसका परिणाम यह हुआ कि सर्वसाधारण में उनकी ख्याति बढ़ने लगी और बिना अधिक कोशिश के ही उनके पास अच्छे मुकदमे आने लगे। सन् १९०७ तक उनकी आर्थिक दशा काफी संतोषजनक हो गई।

राजनैतिक मुकदमों में—

इसी समय बंगाल में राजनीतिक आंदोलन भड़क उठा। एक तरफ देशभक्तों ने विदेशी शासन के पंजे से देश को आजाद करने के लिए संघर्ष आरंभ किया और दूसरी ओर सरकारी अधिकारी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए दमन करने लगे। उस अवसर पर दास बाबू की जन्मजात देशभक्ति की भावना विशेष रूप से प्रबल हो उठी और उन्होंने अपनी आर्थिक कठिनाइयों की परवाह न करके सरकारी कोप का शिकार होने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मुकदमों में सहायता देना आरंभ किया। 'संध्या' के संपादक श्री ब्रह्म बांधव उपाध्याय और 'न्यू इंडिया' के संपादक श्री विपिनचंद्र पाल, दोनों को राजद्रोह के अभियोग में जोरदार पैरवी करके जेल जाने से बचाया और भी अनेक राष्ट्र-सेवकों के अभियोगों को उन्होंने बिना फीस लिए लड़ा और अपनी कानूनी चतुरता से उनको बचा लिया।

जिस 'बम केस' की चर्चा ऊपर की जा चुकी है, उसमें दो अभियुक्तों वारींद्र कुमार घोष और उल्लासकर दत्त को फाँसी की सजा दी गई थी। वारींद्र बम फैक्टरी के मुख्य संचालक और उल्लासकर बम तैयार करने के विशेषज्ञ थे। पुलिस ने बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर और ढाका के मजिस्ट्रेट की हत्या की चेष्टा का आरोप भी इसी 'गुप्त दल' पर लगाया था। खुदीराम और प्रफुल्ल को बम देकर मि० किंग्सफोर्ड को मारने के लिए भेजने का अभियोग तो उन पर सिद्ध हो ही चुका था। इसलिए जज ने ३५ अभियुक्तों में से उनको प्रमुख मानकर प्राणदंड देना उचित समझा।

जब इस मामले की अपील हाईकोर्ट में हुई तो उसका भार भी श्री दास को ग्रहण करना पड़ा। अभियुक्तों पर बम बनाने और हत्या का प्रयत्न करने का अपराध तो सिद्ध हो ही चुका था, इसलिए उन्होंने इस अवसर पर बारीकियों का आधार लेकर एक नई ही दलील जजों के सामने पेश की। यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता (पीनल कोड) की १२१, १२१ ए, १२२ और १२३ धाराओं के अंतर्गत चलाया गया। इन धाराओं के अनुसार मुकदमा चलाने के लिए यह अनिवार्य है कि पुलिस अधिकारी पहले सरकार से अनुमति ले लें। इस मुकदमे में आरंभ में पुलिस ने दफा १२१ ए, १२२ और १२३ के अंतर्गत मुकदमा चलाने की स्वीकृति तो ले ली थी, पर दफा १२१, जो बाद में लगाई गई और उसकी मंजूरी नहीं ली गई। श्री दास ने इसी कानूनी त्रुटि का सहारा लेकर सिद्ध किया कि वारीद्र और उल्लासकर को धारा १२१ के अंतर्गत ही मृत्युदंड दिया गया है और वह सरकारी मंजूरी न लिए जाने के कारण अवैध है, इसलिए अभियुक्तों को मृत्युदंड से मुक्त किया जाय। हाईकोर्ट के जजों ने इस तर्क की सार्थकता को स्वीकार किया और दोनों अभियुक्तों को फाँसी के बजाय आजन्म काला पानी का दंड दिया। अपने फैसले में चीफ जस्टिस ने श्री दास के तर्कों की चर्चा करते हुए लिखा—

“मैं विशेष रूप से इसका उल्लेख करना चाहता हूँ कि मुकदमे में अभियुक्तों के प्रमुख वकील श्री चित्तरंजनदास ने मुकदमे को जिस ढंग से न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया, वह अत्यंत प्रशंसनीय था।”

प्रभावशाली भाषण शक्ति—

श्री अरविंद घोष को मुक्त कराने में भी श्री दास ने यद्यपि कानून की धाराओं को उपस्थित करने और उनकी व्याख्या करने में अत्यंत परिश्रम किया था तो भी यह संदेहजनक था कि जज उनको बिल्कुल छोड़ देंगे। पर मुकदमे के अंत में सरकारी वकील की बहस का जवाब देते हुए उन्होंने नौ दिन तक जो भाषण किया और उसके अंत में जज को न्याय करने के लिए जैसे भावनापूर्ण

ढंग से प्रेरित किया उसी से अधिकांश में श्री अरविंद की रक्षा हो सकी। उन्होंने श्री अरविंद के उच्च आदर्शों और मनःस्थिति का विश्लेषण करते हुए अंत में कहा—

“आपसे मेरा अनुरोध है कि जिस व्यक्ति पर ये आरोप लगाये गये हैं, वह आज केवल इस न्यायालय के सम्मुख नहीं, वरन् इतिहास के उच्च न्यायालय के समक्ष खड़ा है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जब यह मतभेद समाप्त हो जायेंगे, यह हलचल और विद्रोह शांत हो जायेगा, जब यह व्यक्ति परलोक चला जायेगा, उसके बहुत समय बाद तक संसार उसे देशभक्ति के गायक, राष्ट्रीयता के देवदूत और मानवता के प्रेमी के रूप में देखता रहेगा। इस संसार से विदा ले लेने के बहुत समय बाद तक इसके शब्द भारत में ही नहीं बल्कि दूर-दूर तक गूँजते रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह व्यक्ति आज केवल इस न्यायालय के समक्ष नहीं बल्कि इतिहास के उच्च न्यायालय के समक्ष खड़ा है।”

“महोदय (न्यायाधीश से) अब समय आ गया है, जब आपको अपने निर्णय पर और सज्जनों (न्यायाधीश को परामर्श देने वाले ‘असेसरों’ से) आपको अपनी राय पर विचार करना चाहिए। महोदय, मैं आपसे उस अंग्रेजी न्याय परंपरा के नाम पर अनुरोध करता हूँ, जो अंग्रेजी इतिहास का सबसे शानदार अध्याय है—कानून के उन हजारों श्रेष्ठ सिद्धांतों के नाम पर अनुरोध करता हूँ, जो अंग्रेजी न्यायालयों ने बनाये हैं और उन लब्ध प्रतिष्ठित न्यायाधीशों के नाम पर जिन्होंने कानून को इस तरह निभाया है कि उनके फैसलों से लोगों में कानून के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत हुई। मैं आपसे अंग्रेजी इतिहास के उसी शानदार अध्याय के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि संसार को यह कहने का अवसर मिल जाये कि एक अंग्रेज न्यायाधीश न्याय की रक्षा करने में गफलत कर गया।”

श्री दास के इन उच्च भावनाओं को प्रेरणा देने वाले शब्दों का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि सेशन जज मि० बीचक्राफ्ट ने यह जानते हुए कि सरकार श्री अरविंद घोष को दंडित करने पर

जोर दे रही है, उनको पूरी तरह से बरी कर दिया। इस तथ्य को अपने फैसले में प्रकट करते हुए उन्होंने कहा—

“अरविंद ही वह अभियुक्त थे जिन्हें दंड देने के लिए सरकार सबसे अधिक इच्छुक थी। अगर वह अभियुक्तों के कटघरे में न होते तो यह मुकदमा कभी का खत्म हो गया होता।”

अंग्रेजों के शासन काल में, जबकि भारतीय विद्रोह के कारण इंग्लैंड तक का वातावरण गर्म हो रहा था, अपने कानूनी ज्ञान तथा भाषण-कौशल से एक अंग्रेज जज को झुका देना—दास बाबू का ही काम था। फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि वे किसी की खुशामद करके या दबकर अपना उद्देश्य पूरा करते थे। इस ‘युगांतर-दल’ के मामले में ही एक दिन जज ने उनकी किसी बात को ‘बकवास’ कह दिया। इस पर तुरंत उनकी तयारी चढ़ गई और उन्होंने कहा—“अफसोस यह है कि आप इस समय जज हैं और मैं वकील। अगर आपने यह बात कहीं अन्यत्र कही होती तो मैं इसका ठीक-ठीक जवाब देता।” देशबंधु की निर्भीक वाणी सुनकर जज ने अपनी भूल अनुभव की और तुरंत क्षमा माँग ली।

श्रेष्ठपुरुष सदैव सत्य और न्याय के अनुयायी होते हैं। वे अपने हानि-लाभ का ख्याल न करके विरोधी के भी उचित कथन को स्वीकार कर लेते हैं और अनुचित बात चाहे किसी घनिष्ठ परिचित की भी क्यों न हो तो भी उसे मानने को तैयार नहीं होते। देशबंधु के इस गुण के कारण न्यायालयों के समस्त छोटे-बड़े न्यायाधीश उनका सम्मान करते थे। उनको अपना विरोधी जानते हुए भी कोई अंग्रेज उनके प्रति असम्मान का भाव प्रकट नहीं कर सकता था। सत्य और न्याय की ऐसी ही महिमा है।

‘अमृत बाजार पत्रिका’ पर मानहानि का अभियोग—

ऐसी ही कानूनी निपुणता का परिचय उन्होंने “अमृत बाजार पत्रिका” के मानहानि वाले मुकदमे में दिया। हाईकोर्ट ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा किसी की जमीन पर अधिकार करने के प्रश्न पर विचार करने को एक विशेष ‘बैंच’ बिठाई थी—जिसमें तीन अंग्रेज जज और चौथे भारतीय जज श्री चिट्ठी थे। ‘अमृत बाजार पत्रिका’ ने

इस पर टिप्पणी करते हुए लिख दिया कि “अगर जस्टिस चिट्ठी की जगह किसी अन्य ऐसे जज को नियुक्त किया जाता, जिसके पास कुछ जमीन होती तो अच्छा होता।” इस पर ‘पत्रिका’ के संचालकों को नोटिस दिया गया कि उन्होंने एक न्यायालय के विचाराधीन मामले पर टिप्पणी की है, इसके लिए उन पर मानहानि का मुकदमा क्यों न चलाया जाये ? ‘पत्रिका’ ने इसकी पैरवी करने के लिए कलकत्ता के चार सर्वोत्तम वकीलों को नियुक्त किया, जिनमें ‘बम केस’ वाले सुप्रसिद्ध मि० नार्टन भी थे। जब एक-एक करके तीनों वकीलों ने जजों का रुख प्रतिकूल देखा, तो श्री दास पैरवी करने को खड़े हुए और उन्होंने कहा कि—‘पत्रिका’ का इरादा हाईकोर्ट की मानहानि करने का हरगिज नहीं था। उसके लेख में विवाद के विभिन्न पहलुओं को सामने रखकर अपने मतानुसार समाधान का ढंग सुझाया गया है। लेख की कुछ बातें असंगत अवश्य हैं, पर उनका वास्तविक उद्देश्य इतना ही था कि इस मामले का निर्णय फुल बैंच द्वारा किया जाये। इसलिए यह लेख अनुचित भले ही हो, पर इससे किसी प्रकार न्यायालय की मानहानि नहीं होती।” इसके बाद उन्होंने दीवानी और फौजदारी के विभिन्न दृष्टिकोण से इस मामले को ऐसी चतुरता से पेश किया कि फुल बैंच के जजों ने ‘पत्रिका’ के पक्ष में निर्णय दे दिया।

श्री दास की कानूनी निपुणता, संतुलित भाषण और निर्भीकता की सर्वत्र सराहना की जाती थी। उनकी मृत्यु के पश्चात् सभी प्रमुख जजों और वकीलों ने इन गुणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि—“श्री दास मुकदमे के समस्त पहलुओं पर पूरी तरह ध्यान देते थे। गवाहों के बयानों, लिखित प्रमाणों और परिस्थितिजन्य प्रमाणों का वह बड़ी सावधानी और होशियारी से विवेचन करते थे। उनमें अदम्य इच्छाशक्ति थी, जिसके फलस्वरूप वे जजों अथवा अपने विरोधियों से कभी नहीं दबते थे। वे एक सच्चे व्यक्ति के समान खड़े होते थे और ऐसी ईमानदारी तथा विश्वास के साथ बहस करते थे कि विरोधी भाव रखने वाले जज भी अंत में उनसे प्रभावित हो जाते थे।”

राजनीति में प्रवेश—

यद्यपि श्री दास में देशभक्ति की भावना आरंभ से ही थी और वे अपने ढंग से देश-सेवा के कार्यों में भाग लेते रहते थे। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक उच्च विचारों के प्रचारार्थ स्वयं 'नारायण' नाम का एक मासिक पत्र निकाला था। इसके सिवाय वे 'न्यू इंडिया' पत्र के भी एक बड़े सहायक थे, जिसका संपादन श्री विपिनचंद्र पाल करते थे। इसकी चर्चा करते हुए पाल बाबू ने एक बार लिखा था—

“जब प्रारंभिक मालिकों के लिए 'न्यू इंडिया' का भार सँभालना कठिन हो गया तो चित्तरंजन उनकी सहाय्यता आगे बढ़े। कानूनी बंधन के कारण वे स्वयं तो उसके डाइरेक्टर नहीं बन सकते थे, पर अपने मित्रों को उत्साहित करके एक “ज्वाइंट स्टॉक कंपनी” की स्थापना कराई, जिससे वह कार्य फिर चलने लग गया। लगभग बीस वर्ष तक चित्तरंजन और मैं सच्चे सहयोगी के रूप में देश की सेवा करते रहे। मैं काम करता था और वे मेरे जीवन निर्वाह की व्यवस्था करते थे। यही नहीं मेरी जिम्मेदारियों को वे एक पवित्र कर्तव्य समझकर वहन करते थे, जिससे मुझे उनकी सहायता स्वीकार करने में भी कोई संकोच नहीं होता था।”

देशबंधु चित्तरंजन दास ने अपने इस कार्य द्वारा कर्तव्य पालन की एक नई दिशा का बोध कराया। बहुत से व्यक्ति अपने कारोबार, नौकरी अथवा अन्य सांसारिक-बंधनों का कारण बतलाकर सेवा-कार्यों से पृथक् रहते हैं। पर वे क्या किसी अन्य रूप में ऐसे कार्यों में सहयोग नहीं कर सकते ? दास बाबू को अपने वकालत के धंधे में इतना अधिक काम करना पड़ता था और उस जमाने में उनके ऊपर अपने अभियुक्तों की हित-रक्षा की इतनी अधिक जिम्मेदारी रहती थी कि वे देश के कार्यों में न तो अधिक समय दे सकते थे और न विशेष खतरा उठा सकते थे, पर इसका आशय यह नहीं कि वे देश-सेवा और राजनैतिक आंदोलन के महत्त्व को न समझते हों। इसलिए आरंभ में वे परिस्थिति और

सुविधानुसार आर्थिक सहायता और प्रेरणा देकर ही अन्य कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते रहे।

सन् १९०८ में राजनैतिक वातावरण में बहुत अधिक तीव्रता आ जाने पर वे अपने अपूर्व कानूनी ज्ञान द्वारा राजनीतिक अभियोगों में सहायता देने लगे। फिर जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतवासियों ने योजना और निश्चयपूर्वक स्वाधीनता-संग्राम छेड़ा तो उसके महत्त्व और आवश्यकता को समझकर वे सब कुछ त्यागकर उसमें कूद पड़े। लोगों का कहना है कि जिस समय नागपुर कांग्रेस में उन्होंने गांधीजी के आह्वान पर अपनी वकालत को छोड़ा, उस समय उनकी आमदनी ५० हजार रुपया मासिक तक पहुँच गई थी। वे भारत के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से एक समझे जाते थे और बड़े महत्त्वपूर्ण मुकदमों में उनको नियुक्त किया जाता था।

स्वाधीनता-संग्राम में भाग लेने के पश्चात् उन्होंने बैरिस्टरी की मूल्यवान् पोशाक की जगह खद्दर के वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। एक सर्वस्व त्यागी-संन्यासी की तरह लोक-कल्याण का कार्य ऐसी संलग्नता के साथ किया कि एक वर्ष में ही वे भारतवर्ष के एक सर्वश्रेष्ठ नेता और बंगाल के तो एकछत्र सम्राट् बन गये। उनके महान् त्याग और सेवाभाव को देखकर अन्य सैकड़ों साधन-संपन्न व्यक्ति भी देशहित और बलिदान के मार्ग पर आगे बढ़े। वास्तव में देशबंधु चित्तरंजनदास ने हमारे देश में त्याग की महान् परंपरा को अग्रसर करने में जो योग दिया वह सदैव स्मरणीय रहेगा। कुछ ही समय पश्चात् उन्होंने अपना निवास स्थान तक राष्ट्रीय कार्य के लिए अर्पण कर दिया। आज भी उसमें 'चित्तरंजन सेवासदन' स्थापित है, जो स्त्रियों और बच्चों का सबसे अच्छा अस्पताल माना जाता है।

सक्रिय राजनीति में भाग लेने पर भी श्री दास देशहित के बड़े-बड़े कामों में पूरा सहयोग देते रहे, जिनसे भारतीय राजनीतिक आंदोलन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। सन् १९०५ में राजनैतिक आंदोलन के उग्र रूप धारण कर लेने पर सरकार ने एक परिपत्र (सर्कुलर) निकाला, जिसके अनुसार छात्रों पर राजनीतिक आंदोलन

में किसी प्रकार का भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अनुसार अनेक छात्रों पर जुर्माना किया गया और कहीं बेंत लगाने की सजा भी दी गई। इसका प्रतिकार करने के लिए राष्ट्रीय नेता एक स्वतंत्र कॉलेज खोलने का विचार करने लगे, पर इतने बड़े कार्य के लिए साधन मिल सकना सहज न था। तब श्री दास अग्रसर हुए और अपने परिचित एक धनी सज्जन से एक रुपया चंदा लेकर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् (नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशन) की स्थापना करा दी। जब राष्ट्रीय कॉलेज के अध्यक्ष (प्रिंसिपल) पद के लिए किसी उच्चकोटि के और राष्ट्रीय भावना वाले व्यक्ति की आवश्यकता हुई तो उन्होंने श्री अरविंद घोष से, जो उस समय बड़ौदा के गायकवाड़ कॉलेज में ७५० रु० मासिक पर 'वाइस प्रिंसिपल' के पद पर कार्य कर रहे थे, कहा कि—“वे उस पद से त्यागपत्र दे दें और कलकत्ता आकर देशसेवा में भाग लें।” श्री अरविंद ने इसे स्वीकार किया और वे ही 'नेशनल कॉलेज' के सर्वप्रथम मुख्याध्यापक बने। इस पद के लिए उनको केवल डेढ़ सौ रुपया मासिक दिया गया।

स्वराज्य आंदोलन में सहयोग—

सन् १९१६ में 'होमरूल आंदोलन' आरंभ होने पर दास बाबू राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव करने लगे। अप्रैल १९१७ में उनको कलकत्ता में होने वाले 'बंगाल प्रादेशिक सम्मेलन' का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उनके नाम का प्रस्ताव रखते हुए बंगाल के पुराने नेता श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 'भविष्यवाणी' कर दी कि “श्री दास शीघ्र ही भारत के अत्यंत विश्वासपात्र और लोकप्रिय नेता बनने वाले हैं।”

इस सम्मेलन के अध्यक्ष पद से उन्होंने जो भाषण दिया उसमें सबसे मुख्य बात यह थी कि राष्ट्र की वास्तविक मनोवृत्ति को पहचानकर उन्होंने राजनैतिक आंदोलनकारियों को चेतावनी दी कि वे भारत की अंतरंग आत्मा को न समझकर योरोप की नकल कर रहे हैं। उन्होंने कहा—“अपने देश में विदेशी राज्य पनपने के साथ-साथ हमने योरोप की कुछ बुराइयों को अपना लिया और हम

अपने सरल और उत्साहमय जीवन को त्यागकर सुख और विलासिता के जीवन में डूब गये। हमारे सभी राजनीतिक आंदोलन यथार्थता से दूर हैं, क्योंकि इनमें उन लोगों का कोई हाथ नहीं, जो इस देश की असली रीढ़ हैं।” उनका आशय था भारत के किसान, मजदूर और सामान्य जनता से। वे जानते थे कि उनके जाग्रत हुए बिना न तो कोई आंदोलन शक्तिशाली बन सकता है और न देश का सच्चा कल्याण हो सकता है। उनकी यह भावना इतनी गहरी और सच्ची थी कि उन्होंने जब महात्मा गाँधी को जनसमुदाय को साथ लेकर आंदोलन करते देखा तो तुरंत अपना सर्वस्व अर्पण करके उसमें सम्मिलित हो गये। श्री दास का उपर्युक्त अभिभाषण इतना महत्त्वपूर्ण था कि बंगाल के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर लार्ड रोनाल्डशे ने अपनी पुस्तक ‘दि हार्ट ऑफ आर्यावर्त’ में उसकी चर्चा करते हुए लिखा था—

“श्री दास ने जो कुछ कहा, वह वास्तव में एक मिशनरी के उत्साह से कहा। योरोपीय आदर्शों रूपी स्वर्ण पशु की उन्होंने धज्जियाँ उड़ाकर रख दीं और एक ऋषि के समान देश को उन्नति का रास्ता दिखाया।”

उग्र-राजनीति में प्रवेश—

अब श्री दास राजनीति तथा सार्वजनिक आंदोलन के क्षेत्र में दिन पर दिन आगे बढ़ने लगे। उन्होंने होमरूल आंदोलन में पूरा भाग लिया और श्रीमती बेसेंट को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनवाने का प्रयत्न किया। उस समय तक कांग्रेस संगठन अधिकांश में नर्म दल वालों के हाथ में था और बंगाल के पुराने नेता श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी श्रीमती बेसेंट के बजाय राजा साहब महमूदाबाद को उस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। श्री दास ने इसका जोरों से विरोध किया। कांग्रेस अधिवेशन के लिए जो स्वागत समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष एक पुराने कांग्रेसी श्री बैकुंठनाथ सेन श्री दास के पिता के मित्रों में से थे और इसलिए वे उनके प्रति बहुत आदर और श्रद्धा का भाव रखते थे, पर देशहित का प्रश्न सामने आने पर वे उनका विरोध करने

को तैयार हो गये। उन्होंने प्रस्ताव किया कि स्वागत समिति का अध्यक्ष श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर को चुना जाये। अब कांग्रेस संगठन के भीतर पारस्परिक संघर्ष अनिवार्य हो गया। यह देख हाईकोर्ट के एक भूतपूर्व जज सर चंद्रमाधव घोष, जो दोनों के शुभचिंतक थे, बीच में पड़े और यह समझौता करा दिया कि श्रीमती बेसेंट को कांग्रेस का सभापति बनाया जाय और बैकुण्ठाथ सेन भी अपने पद पर बने रहे।

वास्तव में श्रीमती बेसेंट ने उन दिनों भारतवर्ष के राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ाने में प्रशंसनीय साहस दिखलाया था और घोर परिश्रम किया था। एक विदेशी होते हुए भी उन्होंने भारत को होमरूल (आत्म-शासन) का अधिकार देने के लिए समस्त देश में इतना जोरदार प्रचार किया कि भारत सरकार उससे भयभीत हो उठी और उनको गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया। उस अवसर पर देशबंधु चित्तरंजनदास ने एक सार्वजनिक सभा करके इस कार्य की आलोचना करते हुए कहा था—

“मैं नहीं समझता कि मानवता के देवता का गला केवल एक बार ही घोंटा गया था। अत्याचारियों और उपद्रवकारियों ने मानवता का गला बार-बार घोंटा है। मानवता पर होने वाला प्रत्येक आघात उसके तन में ठोंकी गई एक नई कील के समान है।”

दास बाबू केवल कानून के ही बहुत बड़े विशेषज्ञ नहीं थे, वरन् वे एक उच्चकोटि के साहित्यिक और भक्त भी थे। उनकी प्रकृति सदैव बहुत कुछ आध्यात्मिक रही। इसलिए आरंभ में तो उन्होंने कितने ही वर्षों तक राजनीति में सक्रिय भाग ही नहीं लिया, पर जब उस क्षेत्र में पैर रखा तो वे बहुत शीघ्र आगे बढ़ने लगे। अनेक कार्यकर्ताओं की तरह उनका यह उद्देश्य तो हरगिज न था कि इस कार्य द्वारा धन-मान प्राप्त कर लें। ये दोनों बातें तो उनको पहले ही प्राप्त थीं। इसलिए वे अपनी आत्मा की पुकार पर ही देशसेवा के ब्रती हुए थे और जब तक इस कार्य को किया, अपना पवित्र धार्मिक कर्तव्य समझकर ही किया। यही कारण है कि केवल सात-आठ वर्ष कार्य करने का अवसर मिलने पर भी उन्होंने वह

कार्य कर दिखाया, जिससे उनका नाम अमर हो गया और उनकी गणना आधुनिक भारत के निर्माताओं में की जाने लगी।

देशबंधु चित्तरंजन दास के उदाहरण से हमारे सार्वजनिक जीवन में भाग लेने वाले सभी भाइयों को यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि वे जो कुछ करें उसमें सचाई का पूरा ध्यान रखें। जो कार्य आंतरिक भावना से और स्वार्थ को त्यागकर किया जायेगा, वह निश्चय ही श्रेष्ठता और वर्चस्व प्रदान करने वाला होगा। प्रत्यक्ष सफलता तो बहुत छोटी चीज है। महान् कार्यों का फल प्रायः देर से ही प्रकट हुआ करता है। इसलिए किसी भी सेवा कार्य में हमको हानि-लाभ का विचार सर्वथा त्यागकर शुद्ध भाव से अपने कर्तव्य-पालन का ही ध्यान रखना उचित है।

अभूतपूर्व त्याग और देशसेवा का व्रत—

महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन किये जाने पर उसमें भी दास बाबू ने बहुत शीघ्र भाग लिया और कुछ ही दिनों में वे कांग्रेस के प्रमुख संचालक बन गये। बंगाल में कितने ही वर्षों से आतंकवादी आंदोलन चल रहा था और वहाँ के नवयुवक देशोद्धार के लिए बम और पिस्तौल पर ही ज्यादा भरोसा रखते थे। यह दास बाबू के ही अतुलनीय प्रभाव और महान् त्याग का परिणाम था कि बंगाल गांधी जी का दृढ़ अनुयायी बन गया और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने सरकारी दमन नीति का डटकर मुकाबला किया।

असहयोग के कार्यक्रम में गांधी जी ने दो बातें मुख्य रूप से रखी थीं। एक अदालतों का बॉयकाट और दूसरा शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार। इनमें से पहली बात का सबसे अधिक संबंध दास बाबू से था। वे कलकत्ता के ही नहीं, वरन् भारत के एक बड़े नामी वकील माने जाते थे। सन् १९२० में उनकी आमदनी ५० हजार रुपया मासिक तक पहुँच चुकी थी और वे महात्मा गांधी के शब्दों में 'शाही-ठाठ-बाट' के साथ रहते थे। जब कांग्रेस के आदेशानुसार वे श्री मोतीलाल नेहरू के साथ जलियाँवाला बाग और पंजाब में होने वाले अत्याचारों की जाँच कमेटी के सदस्य होकर गये तो तीन महीने में उन्होंने अपना ५० हजार रु० खर्च किया था।

कांग्रेस ने अदालतों और स्कूलों के बायकाट का प्रस्ताव पास तो कर दिया, पर उस वर्ष न तो किसी गणमान्य वकील ने अदालतों में जाना छोड़ा और न सरकार के स्कूल-कॉलेज खाली हो गये। तब १९२० के अंत में नागपुर की कांग्रेस में इस कार्यक्रम पर पुनः विचार किया गया और महात्मा गांधी तथा दास बाबू के विचार-विनिमय के उपरान्त असहयोग का प्रस्ताव नये रूप में प्रस्तुत किया गया। दास बाबू आरंभ से ही विधान परिषदों (लेजिस्लेटिव कौंसिलों) के बहिष्कार के पक्ष में न थे। उनका कहना था कि हमको चुनाव में भाग लेकर अधिक से अधिक संख्या में कौंसिलों में जाना चाहिए और वहाँ सरकार के हर एक प्रस्ताव को अस्वीकृत करके शासन-संचालन असंभव बना देना चाहिए, पर गांधी जी, नेहरू जी तथा पटेल आदि चुनाव में भाग लेने के विरोधी थे। अंत में गांधी जी ने कौंसिलों के बहिष्कार की बात को प्रस्ताव में से निकाल दिया और उसके स्थान पर यह जोड़ दिया गया कि नर्मदल के जो नेता निर्विरोध चुनकर कौंसिलों में चले गये हैं, वे त्यागपत्र दे दें।

समझौता हो जाने पर असहयोग का प्रस्ताव स्वयं दास बाबू ने ही उपस्थित किया, जो पहले अधिवेशन के प्रस्ताव से अधिक जोरदार और व्यावहारिक था। उसमें कहा गया था कि अदालतों और स्कूल-कॉलेजों का बायकाट धीरे-धीरे नहीं तुरंत किया जाना चाहिए। लोगों को यह सलाह दी गई थी कि वे सरकार को सहयोग देना बंद कर दें।

यह दास बाबू की परीक्षा का अवसर था। जब वे देश की अदालतों के बायकाट के लिए वकीलों का आह्वान कर रहे थे तो स्वयं वकालत कैसे कर सकते थे ? उन्होंने उसी समय यह घोषणा कर दी कि वे अब वकालत करना छोड़ देंगे। इससे कांग्रेस का वातावरण एक नवीन उत्साह से भर उठा और एक के पश्चात् एक अनेक व्यक्ति त्याग करने को प्रस्तुत हुए। अनेक लोगों ने सरकारी नौकरियाँ छोड़ी और अनेकों ने बड़ी-बड़ी उपाधियों को तुकरा दिया।

नवयुवकों का संगठन—

नागपुर कांग्रेस से लौटते ही दास बाबू ने असहयोग कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने उत्साही कार्यकर्ताओं की आवश्यकता अनुभव की। १० और ११ जनवरी को उन्होंने विराट् सार्वजनिक सभाओं में भाषण किए और बंगाल के छात्रों से अपील की कि वे मातृभूमि की पुकार सुनकर कर्मक्षेत्र में आयें। इसके फलस्वरूप सबसे पहला दल बंगवासी कॉलेज से आया। इसके पश्चात् रिपन कॉलेज, सिटी कॉलेज और विद्यासागर कॉलेज के छात्र भी बाहर आ गये। उन्होंने छात्रों से कहा कि उनकी पढ़ाई एक या दो वर्ष के लिए रुक जाये तो कोई बड़ी हानि न होगी, परंतु स्वराज्य-युद्ध में भाग लेना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। शिक्षा-संस्थाओं के बहिष्कार का अर्थ इतना ही नहीं कि पढ़ना-लिखना बंद करके घर में बैठे रहें अथवा आवारागर्दी करें। वरन् छात्रों को शहरों और ग्रामों में असहयोग के कार्यक्रम और अन्य आवश्यक कार्यों का प्रचार और संचालन करना चाहिए। कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि ऐसा राष्ट्रीय कॉलेज होना चाहिए, जहाँ सरकारी कॉलेजों को छोड़ने वाले छात्र अगर चाहें तो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। श्री दास ने इसको भी उचित समझा और मौजूदा कॉलेजों से बातचीत की कि उनमें से कोई 'राष्ट्रीय कॉलेज' की जिम्मेदारी लेने को तैयार है या नहीं? जब उन सबको टालमटूल करते देखा तो एक नया ही कॉलेज स्थापित करने का निश्चय कर लिया। लगभग एक मास के भीतर ही सब व्यवस्था करके 'बंगाल नेशनल कॉलेज' की स्थापना कर दी गई, जिसके प्रधानाध्यापक श्री सुभाषचंद्र बोस बने। महात्मा गांधी ने कलकत्ता आकर स्वयं इसका उद्घाटन किया।

श्री सुभाषचंद्र बोस दास बाबू के संपर्क में इसी समय आये और यह घटना भी हमारे नवयुवकों के लिए बड़ी प्रेरणाप्रद है। वे सन् १९१६ में आई० सी० एस० की परीक्षा देने विलायत गये थे। वहाँ उन्होंने अगस्त १९२० में परीक्षा पास कर ली, जिसमें समस्त परीक्षार्थियों में उनका नंबर चौथा रहा। इस पर उनको उसी समय

भारतीय सिविल सर्विस में स्थान मिल गया, पर वे कैंब्रिज का बी० ए० भी पास करना चाहते थे, इसलिए कुछ महीने के लिए इंग्लैंड में रुक गये। उसी समय नागपुर कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव पास किया और देशबंधु चित्तरंजनदास ने बंगाल के युवकों का देशसेवा के लिए आह्वान किया। जब यह समाचार इंग्लैंड में अध्ययन करते हुए सुभाष ने पढ़ा तो उनको भी यह अनुभव हुआ कि इस अवसर पर उनका स्थान कलेक्टर और कमिश्नर की कुर्सियों पर नहीं, वरन् उन देशभक्तों की टोली में है, जो अपने भविष्य का ख्याल छोड़कर मातृवेदी पर अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं। बस उन्होंने १६ फरवरी १९२१ को ही श्री दास को एक पत्र भेजा, जिसमें भारत के राजनैतिक आंदोलन में भाग लेने की हार्दिक अभिलाषा प्रकट की थी—

“संभवतः आप मुझे नहीं जानते, परंतु याद करने पर शायद आप मुझे पहचान लें। मैं आपको एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात लिख रहा हूँ, परंतु इससे पहले मुझे अपनी बफादारी का प्रमाण देना चाहिए। मेरे पिता बाबू जानकीनाथ बोस कटक में वकालत करते हैं। मेरे एक बड़े भाई श्री शरत्चंद्र बोस कलकत्ता हाईकोर्ट में बैरिस्टर हैं। हो सकता है, आप मेरे पिता को भी जानते हो, परंतु मेरे भाई को तो अवश्य ही जानते होंगे।”

“मुझे सरकारी नौकरी कतई पसंद नहीं है। मैंने अपने पिता और भाई को लिख दिया है कि मैं सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूँ परंतु अभी तक मुझे उनका उत्तर नहीं मिला है। उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए मुझे यह बतलाना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मैं क्या करूँगा ? अगर मैं देशसेवा करना चाहता हूँ तो बहुत से काम कर सकता हूँ—जैसे नेशनल कॉलेज में पढ़ा सकता हूँ, अखबारों का संपादन और प्रकाशन कर सकता हूँ, जनता में शिक्षा-प्रचार कर सकता हूँ।

“देश की स्थिति सबसे अधिक आपको मालूम है। मुझे पता चला है कि आपने ढाका और कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोले हैं और अंग्रेजी तथा बंगला दोनों भाषाओं में ‘स्वराज्य’ नामक पत्र

निकालना चाहते हैं। मैंने यह भी सुना है कि देश के कई स्थानों में ग्राम संगठन आरंभ किए जा चुके हैं।

“मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप मातृभूमि की सेवा के क्षेत्र में मुझे क्या काम दे सकेंगे ? मेरी शिक्षा अथवा अनुभव अधिक नहीं है, परंतु मुझमें एक नवयुवक की शक्ति है। मैं अविवाहित हूँ। जहाँ तक अध्ययन का संबंध है, मैंने कलकत्ता में और यहाँ इंग्लैंड में भी दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया है।

“देश भक्ति की जो लहर आपने भारत में उठाई है, उसने ब्रिटेन को भी स्पर्श किया है। यहाँ भी मातृभूमि की पुकार सुनाई पड़ रही है। इस समय ऑक्सफोर्ड के एक मद्रासी छात्र ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है, वह अपना काम आरंभ करने भारत वापस जा रहा है। कैंब्रिज में कभी कुछ नहीं किया गया है, हालाँकि असहयोग के बारे में यहाँ चर्चा काफी हो रही है। मेरा विश्वास है कि अगर कोई मार्ग प्रदर्शन करें तो दूसरे लोग उसका अनुगमन अवश्य करेंगे। मातृभूमि की बलिवेदी पर बलिदान करने वाले आप प्रमुख व्यक्ति हैं। मैं अपनी आत्मा, शिक्षा, बुद्धि, शक्ति और उत्साह, जो कुछ भी मेरे पास है, इसके साथ अपने को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मातृभूमि के चरणों में समर्पित करने के लिए मेरे पास अपने शरीर और अपनी बुद्धि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।”

यह था श्री दास के आत्म-बलिदान का प्रभाव कि उसने छह हजार मील दूर बैठे हुए युवकों के हृदय में खलबली मचा दी। कहाँ तो ये लोग भारतीय सिविल सर्विस की ऊँची-ऊँची नौकरियाँ प्राप्त करके ठाठ-बाट का जीवन बिताने के स्वप्न देख रहे थे और कहाँ दास बाबू की अपील की प्रतिध्वनि सुनकर जन-आंदोलन में कूदने और जेल जाने को उतावले होने लगे। वास्तव में एक सच्ची आत्मा जिस समय जाग्रत हो जाती है, वह अन्य अनेक आत्माओं की भी निद्रा भंग कर देती है। इसीलिए संसार में आत्मत्यागी महापुरुषों का सम्मान किया जाता है, पूजा की जाती है, जिससे उनका उदाहरण देखकर अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरणा मिले और सेवा तथा त्याग की महान् परंपरा अग्रसर होती चली जाये।

मातृभूमि की वेदी पर सर्वस्व अर्पण—

इस प्रकार मातृभूमि की वेदी पर श्री दास ने अपनी धन-संपदा और सुख-सुविधा को ही अर्पण नहीं किया, पर उन्होंने यह भी निश्चय किया कि उनका समस्त परिवार भी इस 'महायज्ञ' में पूरी तरह भाग लेकर अपने को देशोद्धार के लिए बलिदान कर दें। इसलिए जब दिसंबर १९२१ में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत का बहिष्कार करने की तैयारी की जाने लगी और जनता ने उसमें भाग लेने को कम उत्साह दिखलाया तो दास बाबू ने पहले अपने पुत्र को सत्याग्रह करके जेल भिजवाया और फिर अपनी पत्नी श्रीमती बासंती देवी और बहिन उर्मिला देवी को भी भेज दिया। ये दोनों महिलायें बाजार में घूमकर खादी बेचने लगीं और साथ ही लोगों से २४ दिसंबर को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के अवसर पर हड़ताल करने की प्रेरणा भी करती जाती थीं। पुलिस के एक अधिकारी ने उनको रोका और गिरफ्तार करके थाने में ले गया। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि एक-दो घंटे के भीतर ही एक हजार नवयुवक गिरफ्तार हो गये और समस्त बंगाल में हलचल मच गई। यह दशा देखकर सरकार डर गई और उसने उसी दिन आधी रात को उन दोनों महिलाओं को छोड़कर घर पहुँचा दिया।

श्री दास ने स्वयं भी जेल जाने का निश्चय कर लिया था और इसके लिए वे अपने को जेल-जीवन की कठिनाइयों के लिए तैयार करने लगे, क्योंकि अभी तक वे राजसी सुख-सुविधाओं में ही रहते आये थे। उन्होंने कठोर शैया पर सोना और जेल के समान ही भोजन करना आरंभ कर दिया। इसके पाँच दिन बाद ही बंगाल के गवर्नर लार्ड रोनाल्डशे ने उनको समझौते की बातचीत करने को बुलाया, जिससे प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर नगर में हड़ताल न की जाये। दास बाबू ने स्पष्ट कह दिया कि इस बात का फैसला उनके हाथ में नहीं है। प्रिंस के बहिष्कार का निश्चय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने किया है और हम सब लोग उसके आदेश का पालन करके हड़ताल का प्रचार अवश्य करेंगे। इस पर बातचीत समाप्त हो गई और एक दिन बाद ही दास बाबू

को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस की गाड़ी में चढ़ते हुए आसपास इकट्ठे हो गये लोगों से उन्होंने कहा—

“अगर हमारा उद्देश्य शुभ है, तो हमको परिणामों से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो मशाल इस देश में जलाई गई है, उसके बुझने की कोई संभावना नहीं है। अपने कामों में आप पूर्णतः अहिंसावादी रहें। मुझे विश्वास है, आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। भारत की स्त्रियों और पुरुषों ! यही आपको मेरा संदेश है। अगर आप कष्ट झेलने को तैयार हैं तो विजय समीप है।” घरवालों तथा जनता ने शंख-ध्वनि तथा पुष्प-वर्षा करके श्री दास को जेल-यात्रा के लिए विदा किया।

स्वराज्य पार्टी की स्थापना—

सन् १९२१ का वर्ष असहयोग आंदोलन की दृष्टि से सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। लाखों बुद्धिजीवी और उत्साही नवयुवकों ने उसमें सम्मिलित होकर देश के कोने-कोने में उसका संदेश पहुँचा दिया, पर इतने बड़े देश में सर्वत्र अहिंसा के सिद्धांत का पूर्णतः पालन करा सकना संभव न था। इसलिए जब सन् १९२२ के आरंभ में ही उत्तर प्रदेश में चौरीचौरा पुलिस थाने को एक आंदोलनकारी भीड़ ने जलाकर कई कर्मचारियों का प्राणांत कर दिया तो महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। देश भर में स्वयंसेवकों की कार्यवाहियाँ, सभा और जुलूसों को बंद कर देने का आदेश दे दिया गया। उसी समय गुजरात के बारदोली तालुका में करबंदी का आंदोलन शुरू किया जाने वाला था और उसके बाद समस्त देश में इसी प्रकार सरकारी राजस्व (लगान और टैक्स) बंद करके शासन-कार्य ठप्प कर देने की योजना थी, पर गांधी जी ने अहिंसा की रक्षा के लिए उस समस्त कार्यक्रम को रोक दिया।

देशबंधु चित्तरंजन दास इस घटनाक्रम से बड़े क्षुब्ध हो गये। उन्होंने कहा—“बारदोली में सार्वजनिक अवज्ञा आंदोलन रोकने के लिए महात्मा जी के पास जो कुछ भी कारण रहा हो, पर बंगाल में स्वयंसेवकों का काम रोकने के लिए कोई कारण नहीं था। यहाँ

स्वयंसेवकों ने अपने प्रयत्नों द्वारा सरकार को लगभग पंगु बना दिया था, पर अब उनके कुछ भी कार्य करने पर प्रतिबंध लग गया। यह दूसरी बार महात्मा जी ने परिस्थिति को उलझाया है।”

वास्तविक तथ्य यह था कि देशबंधु तथा अन्य प्रमुख नेताओं ने अहिंसा और सत्याग्रह को एक नीति के रूप में ही स्वीकार किया था। महात्मा जी की तरह कोई उनको धर्म-सिद्धांत की तरह स्वीकार नहीं करता था। देशबंधु की तरह लाला लाजपतराय ने भी गांधी जी के निर्णय को असामयिक बतलाया और कहा कि—“इस आदेश द्वारा पूरे देश को दंड दिया गया है। क्या कन्याकुमारी अंतरीप के निवासियों के अपराधों के कारण हिमालय प्रदेश में रहने वालों को दंड देना उचित है ?” मौलाना अबुलकलाम आजाद ने भी, जो देशबंधु के साथ कलकत्ता की जेल में बंद थे कहा कि—“पूरे देश से यह आशा करना कि वह अहिंसक रहेगा, एक दुराशा मात्र है। एक गाँव की गलती के लिए पूरे देश को दंड देना ज्यादाती है।”

इस प्रकार जब महात्मा गांधी के आदेश से देशव्यापी आंदोलन रोक दिया गया तो चारों तरफ एक उदासीनता और अकर्मण्यता का वातावरण छा गया। सन् १९२२ का वर्ष इस दृष्टि से महत्त्वहीन रहा। देश के इस निराशापूर्ण रुख का लाभ उठाकर सरकार ने गांधी जी से लगाकर सैकड़ों प्रमुख नेताओं को जेल में बंद कर दिया। यह देखकर देशबंधु ने देश के सामने कोई ऐसा कार्यक्रम रखने का निश्चय किया, जिससे यह निष्क्रियता दूर होकर लोगों में उत्साह की भावना उत्पन्न हो। इसके लिए उनके विचार में कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम सबसे अधिक उपयुक्त था, जिसके द्वारा सरकार को उसी के मैदान में हराया जा सकता था। वे आरंभ से ही इस प्रकार के कौंसिल प्रवेश के पक्ष में थे, पर केवल महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम करने की भावना से उन्होंने अपनी बात छोड़ दी थी। सन् १९२० के नवंबर मास में नागपुर कांग्रेस से पहले भी एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने अपनी यह सम्मति स्पष्ट शब्दों में प्रकट की थी—

“मैं परिषदों के बहिष्कार के पक्ष में नहीं था, क्योंकि मैं असहयोग के सिद्धांत को सरकारी कौंसिलों के भीतर भी क्रियान्वित करना चाहता था। परंतु कांग्रेस के प्रस्ताव को मानने के कारण मैंने अपनी बात वापस ले ली।”

पर जब उन्होंने देखा कि देश के सामने कोई व्यावहारिक कार्यक्रम न होने से उसमें निर्बलता आती जा रही है तो उन्होंने गया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कौंसिल-प्रवेश का प्रतिपादन किया, पर उस समय प्रतिनिधियों में कौंसिलों विरोधियों का बहुमत था, इसलिए श्री दास का प्रस्ताव ३१ दिसंबर को रद्द हो गया। इस पर उन्होंने तुरंत कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और १ जनवरी, १९२३ को गया में ही श्री मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर ली। इस कार्य में कांग्रेस के कट्टरपंथियों के कारण उनको बहुत बड़ा विरोध करना पड़ा। जिस समय दास बाबू गया कांग्रेस से लौटकर कलकत्ता पहुँचे उस समय उनकी अवस्था कैसी कठिन हो गई थी, इसकी एक झलक सुप्रसिद्ध बंगाली लेखक श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने लेख में इस प्रकार दी थी—

“कोई साथ देने वाला नहीं है, पैसा नहीं है, प्रचार के लिए हाथ में एक भी समाचार पत्र नहीं है। जो अत्यंत छोटे लोग थे—वे भी बिना गाली दिये बात नहीं करते! देशबंधु की यह कैसी अवस्था थी ! उस समय की बात आज तक भी मेरे मन में स्पष्ट अंकित है। जब हम गया कांग्रेस से लौटकर आये तो समस्त समाचार पत्र देशबंधु के विरुद्ध असत्य और अर्धसत्य बातों से भरे थे। हमारे पक्ष की बात कहने वाला कोई न था। इतना ही क्यों, कोई उनका वक्तव्य छापने को भी तैयार नहीं होता था। जिस घर में एक दिन लोगों को बैठने को जगह नहीं मिलती थी, उसमें मित्र या शत्रु किसी की पद-रज भी अब स्पर्श नहीं होती थी।”

पर इतना होने पर भी देशबंधु एक क्षण के लिए भी निराश या हताश नहीं हुए। उन्होंने गया कांग्रेस में ही यह कह दिया था कि आज जो मेरे विरोधी हैं, वे ही बहुत शीघ्र मेरे अनुकूल हो जायेंगे और ऐसा ही हुआ। गया के नौ महीने बाद दिल्ली में जो

विशेष अधिवेशन मौलाना अबुलकलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ, उसमें यह स्वीकार कर लिया गया कि जिन लोगों का कौंसिल प्रवेश में विश्वास है, वे चुनावों में भाग ले सकते हैं। इस अवसर पर अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए देशबंधु ने कहा—

“ये कौंसिलें क्या हैं ? ये विधान मंडल क्या हैं ? ये सब भुलावे की चीजें हैं। क्या हम इनका अंत नहीं करेंगे ? महात्मा गांधी इन सुधारों को निरर्थक सिद्ध करना चाहते हैं। मैं भी कौंसिलों में जाकर यही करना चाहता हूँ। इसे कार्यरूप में परिणत करने का एकमात्र उपाय यही है कि कौंसिलों में जाकर सरकार के लिए काम करना असंभव कर दिया जाये। मेरा उन लोगों से कोई संबंध नहीं है, जो पद-प्राप्ति के लिए अथवा छोटे-मोटे लाभों या स्वार्थपूर्ति के लिए वहाँ जाते हैं। मुझे इससे नफरत है, घृणा है। मेरा तो यह कहना है कि या तो मैं वहाँ उन सुधारों को नष्ट करने के लिए जाऊँ, जो कि हमारा खून चूस रहे हैं या बिल्कुल ही न जाऊँ।”

और बंगाल प्रांत के चुनावों में अभूतपूर्व विजय प्राप्त करके उन्होंने जो कहा था उसे पूर्ण रूप से पालन करके दिखा दिया। उनके प्रभाव और परिश्रम से प्रजा की तरफ से चुने जाने वाले सदस्यों की लगभग सभी सीटें उनके दल वालों को मिलीं। नर्मदल तथा अन्य संस्थाओं के बड़े-बड़े नेता देशबंधु द्वारा खड़े किये गये साधारण व्यक्तियों से हार गये, पर जब बंगाल के नये गवर्नर लार्ड लिटन ने श्री दास को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने उत्तर में लिखा—

“हमारी पार्टी के सदस्य सुधार अधिनियम के अंतर्गत सभी कानूनी अधिकारों का उपयोग द्वैधात्मक शासन प्रणाली का अंत करने के लिए करने का निश्चय कर चुके हैं। पार्टी जानती है कि इन पदों को स्वीकार करने के बाद भी अंदर से सरकारी कामों में बाधा डाली जा सकती है, परंतु ऐसा करना ईमानदारी की बात न होगी। हमारे देशवासियों की जाग्रत चेतना चाहती है कि जब तक वर्तमान सरकार की शासन प्रणाली में ऐसे परिवर्तन न हों, जो हृदय-परिवर्तन के सूचक हों, तब तक जनता को उसके साथ

सहयोग नहीं करना चाहिए। इन परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे खेद है कि मैं यह उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं कर सकता।”

इसकी तुलना जब हम वर्तमान समय के कांग्रेसी नेताओं और सदस्यों से करते हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य मंत्री-पद प्राप्त करना ही होता है और जो विधान सभाओं में जाने का उद्देश्य अधिक से अधिक आमदनी करना ही समझे बैठे हैं तो मालूम होता है कि उस समय की और आज की कांग्रेस के प्रति जनता की मनोभावना में इतना अंतर क्यों है ? आज परिषदों में जाने वाले लोगों ने सेवा धर्म और लोकहित की भावना को पददलित करके स्वार्थपूर्ति और अपने संबंधियों के पोषण को ही मुख्य ध्येय बना रखा है और ‘जन-सेवा’ को एक व्यापार के रूप में बदल दिया है। इसी से दिन पर दिन देश की नैतिकता का स्तर गिर रहा है और भ्रष्टाचार की वृद्धि हो रही है। दास बाबू का मार्ग इससे सर्वथा भिन्न था। वे स्वयं बड़े से बड़ा त्याग करके दूसरे लोगों से त्याग करने को कहते थे, जिससे उसका प्रभाव तुरंत पड़ता था। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों को दास बाबू के चरित्र की यह बात गौंठ बाँध रखनी चाहिए।

अत्यधिक परिश्रम से स्वास्थ्य-भंग—

देशबंधु स्वभाव से ही बड़े भाव प्रवण थे। जिस काम में हाथ डालते थे, उसे तन-मन-धन से पूरा करने में संलग्न हो जाते थे। सन् १९१६ से जबसे उन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लेना आरंभ किया था, उनका कार्य-भार निरंतर बढ़ता ही गया। जब असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार करके उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया, तब से घर की आर्थिक व्यवस्था की एक नई चिंता ने आ घेरा। वे अब तक जिस प्रकार खुले हाथ खर्च करते आये थे, उसमें बहुत कुछ कमी कर देने पर भी, अपने उच्च स्तर की रक्षा और अम्यास के कारण उनको काफी खर्च करना पड़ता था। इन सब बातों का भार उनके स्वास्थ्य पर पड़ता गया और ६ महीने की पहली जेल-यात्रा में ही वे कई रोगों के शिकार हो गये। फिर भी उन्होंने जेल में अपने लिए कोई विशेष सुविधायें लेने से इनकार किया, क्योंकि जब

तक सभी सत्याग्रही कैदियों को वैसी सुविधायें न मिल जायें, तब तक स्वयं आराम से रहना वे अनुचित समझते थे। जेलखाने से निकलने पर उनको आराम और स्वास्थ्य-सुधार करने के बजाय तरह-तरह की कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए और भी अधिक परिश्रम और दूर-दूर तक का दौरा करना पड़ता था। इसके परिणामस्वरूप उनकी शारीरिक शक्ति दिन-दिन क्षीण होती चली गई और ५ वर्ष के भीतर ही उनके जीवन का अंत हो गया। पर अंतिम समय तक वे राजनैतिक आंदोलन के संचालन में अपनी बहुमूल्य सम्मति देते रहे। ४ जून को उन्होंने महात्मा गांधी को बहुत आग्रह करके दार्जिलिंग बुलाया, जहाँ वे स्वास्थ्य-सुधार के लिए गये थे। उनसे पाँच दिन तक राजनीतिक समस्याओं पर उनकी खूब बातचीत होती रही। १६ जून को उनका देहावसान हो गया।

पारस्परिक वैमनस्यता का अभिशाप—

समाज में उच्च स्थान और यश प्राप्त करने वाले महान् पुरुषों को जिस एक ओर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह है आपस के लोगों का गुप्त अथवा प्रकट विरोध। जब सामान्य मनःस्थिति के व्यक्ति अपने किसी संगी-साथी को विशेष सफलता लाभ करते देखते हैं अथवा किसी का अपने से अधिक सम्मान होता, महत्त्व बढ़ता जान पड़ता है तो उनके भीतर एक प्रकार का द्वेष-भाव उत्पन्न हो जाता है। उसके वशीभूत होकर वे प्रायः प्रतिपक्षी के विरुद्ध उलटी-सीधी बातें कहने लगते हैं और जिस प्रकार संभव हो उसे गिराने की चेष्टा करते हैं। यद्यपि यह दूषित मनोवृत्ति सर्वत्र पाई जाती है, पर भारतवर्ष जैसे देश में, जो बहुत लंबे समय तक विदेशियों के आधीन रहा हो, यह दोष बड़ी मात्रा में पाया जाता है। श्री दास को भी अपने ही आसपास के अन्य कार्यकर्ताओं और कांग्रेस में भाग लेने वालों के कारण ऐसी अवांछनीय परिस्थिति का सामना बहुत करना पड़ा। श्री शरतचंद्र ने दास बाबू के जीवन के इस पहलू पर प्रकाश डालते हुए बहुत ठीक लिखा है—

“पराधीन देश का सबसे बढ़कर दुर्भाग्य यह होता है कि उसके स्वाधीनता-संग्राम में मनुष्य को विदेशियों की अपेक्षा अपने देश के लोगों के साथ ही अधिक लड़ाई लड़नी पड़ती है।”

जिन लोगों ने गत पचास वर्षों के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया है, आँखें खोलकर उसका निरीक्षण किया है, वे इस कथन की सचाई को अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। श्री दास को इस परिस्थिति का सामना अन्य नेताओं की अपेक्षा इसलिए अधिक करना पड़ा था, क्योंकि अपनी उच्च स्थिति, प्रभाव और त्याग के कारण उनको आंदोलन में बहुत शीघ्र प्रधान पद प्राप्त हो गया था। अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा वे जो निर्णय करते थे, वह भी अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और कारगर होता था। इससे उन्होंने जनता में शीघ्र ही वह श्रद्धा और सम्मानयुक्त स्थान प्राप्त कर लिया, जो अनेक पेशेवर राजनीतिज्ञों को बहुत वर्षों में भी नहीं मिल सका था। इसी से बंगाल के और अन्य प्रांतों के भी अनेक छोटे-बड़े नेता उनसे प्रतिस्पर्धा का भाव रखने लगे थे और समय-कुसमय उनका विरोध करने को तत्पर हो जाते थे। यद्यपि श्री दास ने कभी ऐसे लोगों के विरोध के कारण कोई अनुचित अथवा देशहित को हानि पहुँचाने वाला कार्य नहीं किया तो भी इसका प्रतिकार करने के लिए उनको जो अतिरिक्त श्रम करना पड़ता था और मानसिक अशांति उत्पन्न होती थी, वह उनके स्वास्थ्य के लिए घातक ही सिद्ध हुई। इसके संबंध में अपनी सम्मति व्यक्त करते हुए देशबंधु के निकटतम सहकारी श्री सुभाष बाबू ने लिखा है—

“कभी-कभी मेरे मन में यही भाव आता है कि देशबंधु की अकाल मृत्यु और देहत्याग की बहुत कुछ जिम्मेदारी उनके सहकारी और अनुयायियों पर भी है। अगर वे उनके कार्य-भार को कुछ-कुछ हलका करते रहते तो संभवतः उनको इतना अधिक परिश्रम करके अपनी जीवन-लीला इतनी शीघ्र समाप्त न करनी पड़ती। पर हम लोगों की ऐसी आदत है कि जिसको एक बार नेता के पद पर बिठा देते हैं, उस पर इतना अधिक बोझा डालते हैं और उससे इतनी अधिक आशा रखते हैं कि जितना कार्य-भार

उठाना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। राजनीति से संबंधित तमाम बातों की बागडोर हम नेता के हाथ में देकर स्वयं निश्चित होकर बैठे रहना चाहते हैं।”

यही देशबंधु के इतनी शीघ्र—केवल ५५ वर्ष की आयु में संसार से उठ जाने का मुख्य कारण था। हमारे यहाँ का सार्वजनिक जीवन अभी बहुत कम विकसित हुआ है। अधिकांश लोग तो ‘सार्वजनिक’ का आशय ही नहीं समझते। इसलिए जो थोड़े से व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को समस्त राजनीति और लोक-कल्याण के कार्यों का उत्तरदायी समझ लिया जाता है। उधर सच्चे नेता भी जब देखते हैं कि जनता सार्वजनिक जीवन के संबंध में अनजान और अनभ्यस्त है तो लाचार होकर उनको अपनी शक्ति से बाहर श्रम करके कार्य-संचालन करना पड़ता है, जिसका परिणाम प्रायः अनिष्टकर ही सिद्ध होता है। एक देशबंधु चित्तरंजनदास ही नहीं, हमारे देश के अनेक महान् कर्णधार इसी प्रकार अतिरिक्त कार्य-भार के कारण समय से पूर्व परलोक के पथिक बन चुके हैं। जनता को इस संबंध में अपना दायित्व समझना और अपने भक्तिभाजन महापुरुषों के स्वास्थ्य और परिस्थितियों का ध्यान रखकर उनके कार्य-भार को हलका करते रहना ही अपना कर्तव्य समझना चाहिए।

इसमें संदेह नहीं कि भारतीय जन-जीवन का यह पहलू बहुत अधिक चिंतनीय है। यही कारण है कि हमारे अधिकांश राष्ट्रीय आंदोलन आंशिक रूप से ही सफल हो पाते हैं और उनके लिए भी थोड़े से सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और सेवाभावी व्यक्तियों को आवश्यकता से अधिक श्रम और स्वार्थ त्याग करना पड़ता है। अन्य प्रगतिशील देशों में ऐसी बात नहीं है। योरोप, अमेरिका के प्रायः सभी छोटे-बड़े राष्ट्रों के निवासी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और इसलिए कोई संकट का समय आने पर अपनी स्थिति के अनुकूल रक्षा कार्य में हिस्सा बँटाते हैं। गत द्वितीय महासमर में जब हिटलर ने इंग्लैंड पर तूफानी आक्रमण किया था और जर्मनी की वायु-सेना के दल एक के बाद एक आकर चौबीसों घंटे ब्रिटेन के नगरों पर बम वर्षा करते थे तो वहाँ

के नेताओं ने नहीं, जनता ने अपने मनोबल से उनका मुकाबला किया। उस समय अंग्रेजी सेना की युद्ध सामग्री भी फ्रांस की भूमि पर हुई पराजय के कारण नष्ट हो गई थी। पर इंग्लैंड की सामान्य जनता इनमें से किसी कठिनाई से न घबड़ाकर नियम से कारखानों में जाती रही और पहले से ड्योढ़ा काम करती रही, जिसके परिणामस्वरूप एक भयंकर शत्रु से देश की रक्षा ही न हो सकी, वरन् ब्रिटिश सेना पुनः अस्त्र-शस्त्रों से सज्जित होकर हिटलर का मुकाबला करने को तैयार हो गई।

अगर हमारे देशवासियों में ऐसी मनोवृत्ति जाग्रत हो जाये, तो यहाँ के राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम इस प्रकार अधूरे न रहें। इस समय तो जो थोड़े से सेवाभावी व्यक्ति समाज सुधार, धर्म प्रचार, आर्थिक व्यवस्था को उन्नत बनाने की कोई योजना बनाते हैं, उसके लिए उनको साधनों तथा सहायकों की कमी से स्वयं ही इतना परिश्रम और दौड़धूप करनी पड़ती है कि वे थोड़े-बहुत समय में ही थककर हताश हो जाते हैं। यदि हमारी जनता उपयोगी सार्वजनिक कार्यों के महत्त्व को समझकर स्वेच्छा से आवश्यक सहयोग प्रदान करती रहे तो देश की परिस्थिति में बहुत कुछ सुधार हो सकता है।

देशबंधु चित्तरंजन दास को बहुत अधिक श्रेय इस बात का है कि उन्होंने स्वाधीनता-संग्राम के आरंभिक दिनों में उसको उलझनों से निकालकर व्यावहारिक मार्ग दिखलाया। जैसा उन्होंने आरंभ में ही कह दिया था। 'स्वराज्य पार्टी' द्वारा एक चुनाव जीत लिए जाने पर फिर सभी कांग्रेसी नेता कौंसिल प्रवेश के महत्त्व को समझ गये और दूसरे ही चुनाव में कांग्रेस के बड़े-बड़े महारथियों ने भाग लिया और कौंसिलों के सदस्य बने। सन् १९३७ में गांधी जी की आज्ञानुसार कांग्रेस ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर चुनाव लड़ा और उसके नेताओं ने मंत्री-पद स्वीकार करके शासन-संचालन किया। इस प्रकार श्री दास की नीति ही, जिसके लिए एक बार उनको 'कांग्रेस का विद्रोही' कहकर बदनाम करने की चेष्टा की गई थी, अंत में उचित और देशहित के अनुकूल मानी गई। उन्होंने

सन् १९२३ में ही उक्त लांछन का प्रतिवाद करते हुए मद्रास की एक सभा में कह दिया था—

“क्या मैं विद्रोही हूँ ? यदि मुझे ऐसा जान पड़े कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिए कांग्रेस अथवा भारत की किसी भी दूसरी संस्था का विरोध करना आवश्यक है तो मैं अवश्य उसके प्रति विद्रोह करूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस से अधिक पवित्र एक और चीज है और वह है—भारतीय जनता की स्वतंत्रता।”

देशबंधु का आशय था कि सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में हम सबको पूरी सचाई और निःस्वार्थता से काम लेना चाहिए। जो इस मार्ग पर चलेगा, वह कभी मार्गच्युत नहीं हो सकता और उसके विरुद्ध भूल से या द्वेष से यदि कोई दोषारोपण किया जायेगा तो वह अधिक देर तक न टिक सकेगा।

दास बाबू भारतीय धर्म और अध्यात्म के मर्म को भी पूर्ण रूप से समझते थे। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि—“कृत्रिम अंग्रेजियत हमारे मार्ग में बाधा बन गई है। उसके कलुषित पदचिह्न हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र एवं कार्य में दृष्टिगोचर होते हैं। हम देवालियों के स्थान पर सभा-भवन बनवाते हैं, दान जैसे शुभ कार्य के लिए नाटकों और अन्य मनोरंजनों के टिकटों का विक्रय कर रहे हैं। अनाथालयों की सहायता के लिए लाटरी डालते हैं। हम अपने पहनावे, विचार, भावनाओं तथा संस्कृति सभी दृष्टियों से मिश्रित किस्म के हो गये हैं। संभव है पाश्चात्य आदर्शों के अनुकरण के इस नये उन्माद में एक दिन हम यह भी भूल जायें कि धन केवल साधन है, साध्य नहीं।” इस प्रकार वे भारतीय संस्कृति के दृढ़ उपासक थे और उन्होंने गांधी जी से स्पष्ट कह दिया था कि “मैं राजनीतिक आंदोलन में इसीलिए शामिल हुआ हूँ, क्योंकि मैं उसे धर्म का अंग समझता हूँ।” अगर हम भी धर्म और अध्यात्म को अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की आधारशिला बना सकें तो निःसंदेह हमारी दुर्दशा का शीघ्र ही अंत हो सकता है।

मुद्रक—युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा।